



# न्यायालय समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

ई0सी0 वाद सं0-20/2016-17

राज्य बनाम मो0 जावेद


आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
12.10.2018	<p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>प्रस्तुत वाद विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना के पत्र सं0 1127/अनु0 दिनांक 30.07.2016 के द्वारा सुलतागंज थाना कांड सं0 117/16 दिनांक-01.07.2016 से दर्ज प्राथमिकी की छाया-प्रति एवं जप्ती-सूची प्राप्त हुआ। विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना के पत्र में जप्त समाग्रियों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा-6ए के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु अनुशंसा किया गया है। विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन की अनुशंसा के आलोक में दिनांक-10.08.2016 को उक्त वाद में आदेश पारित करते हुए विपक्षी (आरोपी) पर नोटिस किया गया। नोटिस के माध्यम से सूचित किया गया कि जप्त समाग्रियों के पक्ष में कोई साक्ष्य हो तो दिनांक-02.09.2016 को न्यायालय में उपस्थित होकर स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखें। अन्यथा आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की कंडिका-6 ए के प्रावधानों के अंतर्गत जप्त समाग्रियों को राजसात (Confiscate) कर लिया जायेगा। दिनांक-02.06.2016 से 16.03.2018 तक लगातार 09(नौ) तिथियों पर विपक्षी (आरोपी) अनुपस्थित रहें हैं। दिनांक-22.05.2018 को प्रतिवादी (आरोपी) की ओर से वकालतनामा सहित हाजरी दी गयी। दिनांक 02.08.2018 से 12.10.2018 तक लगातार 02 (दो) तिथियों से प्रतिवादी (आरोपी) अनुपस्थित है।</p> <p>दिनांक-12.10.2018 को अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का परिशीलन किया एवं विशेष लोक अभियोजक को सुना। विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि जप्त समाग्रियों को विनष्ट हो सकता है। इसे राजसात (Confiscate) कर लिया जाय।</p> <p>न्यायालय निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आरोपी (विपक्षी) एक बार उपस्थित होकर लगातार अनुपस्थित हैं। इसे स्पष्ट होता है कि जप्त समाग्रियों के पक्ष में आरोपी (विपक्षी) के पास कोई साक्ष्य नहीं है एवं न कुछ</p>	


कहना है।

सुलतानगंज थाना कांड सं० 117/16 से जप्त समाग्रियों को "The Liquified Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order-2000" के उल्लंघन के आरोप में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-6ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति के आलोक में राजसात (Confiscate) किया जाता है।

विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन को आदेश दिया जाता है कि सुलतागंज थाना कांड सं० 117/16 दिनांक-01.07.2016 में जप्त गैस सिलेण्डरों के गैस एवं अन्य समाग्रियों को बिक्री करा दें। बिक्री से प्राप्त पूर्ण राशि को सरकारी खजाना में कोषागार चालान से जमा कराकर चालान की मूल प्रति को अपने कार्यालय के अभिलेख में संघारित कर उक्त चालान की एक छाया-प्रति को स्व० हस्ताक्षर कर न्यायालय में अवश्य ही भेज दें। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। कालान्तर में व्यवहार न्यायालय से प्राप्त आदेश के फलाफल का अनुपालन किया जायेगा।

लेखापित एवं संशोधित।

  
समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,  
पटना।

  
समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,  
पटना।